

घटती घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatati.ghatana.com

अम्बिकापुर, तृष 22, अंक - 214 - शुक्रवार 05 - जून 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

RNI Reg.No. - CHHIN/2004/15050, डाक पंजीवन. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फील्ड कमांडों की वित्तीय सीमा दोगुनी करने को मंजूरी दी...

सेनाओं को सालाना खरीद के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय शक्तियां मिलीं

नई दिल्ली, 04 जून 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं की परिचालन दक्षता मजबूत करने के लिए फील्ड कमांडों की वित्तीय सीमा दोगुनी करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 'रक्षा सेवाओं की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन' जारी किया। इसके तहत राजस्व से जुड़ी खरीद के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कीमत वाली वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। इस फैसले से फील्ड कमांडों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा विभाग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशीकरण, अनुसंधान और विकास के लिए संशोधित वित्तीय शक्तियां दोगुनी कर दी गई हैं। सशस्त्र सेनाओं के लिए संयुक्त खरीद को तेज करने के लिए बड़ी हुई शक्तियों के साथ नए प्रावधान पेश किए गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की यह पहल फील्ड कमांडों को और ज्यादा अधिकार देगी, जिससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और



आखिरकार हमारी ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ावा मिलेगा। 'रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन' जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस नए दस्तावेज का मकसद रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि यह रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित होगा, जिसमें लघु उद्योग और स्टार्टअप समेत

निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी। काम से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दी गई वित्तीय शक्ति को दोगुना करने से काम तेजी के साथ समय पर पूरा हो सकेगा। वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने से मौजूदा साल के बजट आवंटन के अनुसार 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीद आसान हो जाएगी। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकेंद्रीकरण करने के लिए कई नए

सक्षम वित्तीय अधिकारियों को पेश किया गया है। मंत्रालय के अनुसार फील्ड कमांडों की वित्तीय शक्तियों को आखिरी बार 2021 में अधिमूर्चित किया गया था। सशस्त्र बलों में ऑपरेशन पर बड़े हुए खर्च को पूरा करने के कारण यह बदलाव जरूरी हो गया था। वित्तीय शक्तियों में यह बदलाव अक्टूबर 2025 में अधिमूर्चित किए गए संशोधित रक्षा खरीद मैनुअल के साथ तेजी से फैसले लेने के साथ रक्षा खरीद को बढ़ावा देगा। इससे सशस्त्र बलों की जरूरतों के हिसाब से समय पर संसाधन मिल सकेंगे। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, सेना प्रमुख जनरल उमेश द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार, रक्षा वित्त विभाग के सचिव विश्वजीत सहाय, सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) सुकृति लिखी, वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर, रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में आग, 5 की मौत

मुजफ्फरपुर, 04 जून 2026। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हआग शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया। परिजन अपने मरीजों को स्टूचर से बाहर ले जाते दिखे। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई। दमकालकर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। मृतकों की पहचान कर ली गई है। इसमें गीता देवी, चंचला वर्मा, 57 साल के उदय कुमार, 30 साल के शाशंक कुमार और कृष्णानंद सिंह शामिल हैं। वहीं, हृदय के बाद प्रसाद हॉस्पिटल से कई मरीज गायब बताए जा रहे हैं। इसे लेकर मरीज के परिजन हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मरीजों को वापस लाया जाए। हालांकि, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उनका दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचानक वार्ड में धुआं उठने लगा। मैंने तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क पहनाया और वार्ड से बाहर आ गई।



किया गया तो उन्होंने चुपकी साध ली। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी थे।

93 साल की मरीज ने आग लगने की जानकारी दी...

चरमदीयों का आरोप है कि मौत का आंकड़ा छिपाने के लिए पुलिस घटनास्थल से जल्दबाजी में शवों को लेकर चली गई। लोगों का कहना है कि अगर आग लगने के बाद समय पर पानी की व्यवस्था की गई होती तो मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। आईसीयू में एडमिट 93 साल की राधा देवी ने बताया, 'मैं आईसीयू में एडमिट थी। अचानक वार्ड में धुआं उठने लगा। मैंने तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क पहनाया और वार्ड से बाहर आ गई।

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दी दस्तक

नई दिल्ली, 04 जून 2026। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने तीन दिन की देरी से केरल में गुरुवार को दस्तक दे दी। इसके असर से केरल के साथ-साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले सात दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले दो-तीन दिन में यह पूरे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार मानसून ने तेजी से आगे बढ़ते हुए केरल के साथ-साथ लक्षद्वीप, माहे, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व अरब सागर के बचे हुए हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। इसके जल्द ही पूरे गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाकी हिस्सों,



दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य तथा उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने के आसार हैं। केरल में मानसून के आगमन के लिए पिछले दो दिनों से दक्षिण-पूर्व अरब सागर में घने सवहनी बादलों की लगातार बढ़ोतरी देखी गई। निचले स्तरों पर पछुआ हवाओं की रफ्तार करीब 37-46 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर पछुआ हवाओं की गहराई समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैली हुई है। पिछले 48 घंटों में केरल के अधिकतर हिस्सों में व्यापक और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पल्लुक्की (एर्नाकुलम) में 9 सेमी, मट्टनचेरी (एर्नाकुलम) और कोच्चि आई.ए.एफ., चेरथला (अलापुझा) में 8 सेमी, वैकोम (कोड्यम) में 7 सेमी, अलुवा, कुमाराकम, नेय्यादिन्कारा, पीरमाडे, कलामासेरी, कुरुदामनिल, वदावथु, कोच्चि सी.आई.ए.एल. में 6 सेमी, थ्राडकोट्टुसेरी, इडुक्की, तिरुवन्तपुरम, थोडुपुझा, मुन्नार और कन्नूर समेत कई इलाकों में 3-5 सेमी तक बारिश हुई। पलक्कड, वायनाड, मलपुरम, कासरगोड और कोझिकोड के कई हिस्सों में 1-2 सेमी तक बारिश हुई। उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर एक जून को केरल पहुंचता है। पिछले वर्ष यानी 2025 में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 24 मई को केरल में दस्तक दी थी। इसके बाद दिल्ली में इसने 29 जून को दस्तक दी थी, जो सामान्य तिथि से 9 दिन पहले था। केरल में दस्तक देने के डेढ़ महीने में यह पूरे देश को कवर कर लेता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कोलकाता, 04 जून 2026। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तुमगुड कौमिस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय पर कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, यह मामला सिलीगुड़ी साइबर अपराध पुलिस थाना में एक अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है। शिकायत अधिवक्ता रिंकी सेन चर्जी ने दर्ज कराई है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने दो जून को कोलकाता के रानी रासमणि रोड पर आयोजित एक विरोध सभा के दौरान ऐसे बयान दिए, जिनमें गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर संकेतात्मक आरोप लगाए गए। शिकायत के अनुसार, यह पूरा मामला बांग्लादेश के नागरिक उस्मान हदी की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि उस्मान हदी की हत्या पिछले वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश में हुई थी और बाद में उनके कथित हत्यारे जनवरी में मेघालय सीमा के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए थे, जिन्हें राज्य की विशेष कार्य बल ने गिरफ्तार किया था।



उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का नहीं हो पाया उपयोग : राहुल गांधी

देहरादून, 04 जून 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के वक्त लोगों का विजन था कि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन दुख इस बात का है कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का बाहर के लोग उपयोग कर रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार रिमोट कंट्रोल के जरिए दिल्ली से चल रही है। राहुल गांधी गुरुवार को अल्मोड़ा की एक जनसभा को फोन से संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी को आज अल्मोड़ा के सिमकनी स्थित एएसएसजे विश्व विद्यालय के खेल मैदान पर परिवर्तन का शंखनाद कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को संबोधित करना था। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते पतनगर से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका।



राज्यसभा चुनाव... भाजपा ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की

एमपी से तरुण चुग, राजस्थान से सतीश पूनिया प्रत्याशी, 27 सीटों पर 18 जून को चुनाव

नई दिल्ली, 04 जून 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने पांच राज्यों में होने वाले राज्यसभा द्विआर्थिक चुनाव-2026 तथा ओडिशा में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दो सीटों से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजद छोड़ हाल ही में भाजपा में शामिल हुए देवाशीष सामंतराय को ओडिशा उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान की 10 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव और ओडिशा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इसमें अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक, गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र मेघजीभाई कंजारिया, मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, मणिपुर से ए शारदा देवी तथा राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पूनिया को राज्यसभा चुनाव के लिए



उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं, ओडिशा में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंतराय को प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाए गए तरुण चुग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन के प्रमुख रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। पंजाब के अमृतसर से आने वाले चुग जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना सहित कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। पार्टी के चुनावी प्रबंधन और संगठन विस्तार में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। हाल ही में उन्हें मणिपुर में विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया था। दूसरे उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल लंबे समय से मध्य

प्रदेश भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं। वे वर्तमान में प्रदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं और संगठनात्मक कार्यों, बृथ प्रबंधन तथा चुनावी रणनीति के क्षेत्र में उनकी विशेष पहचान है। पार्टी कार्यकर्ता नेटवर्क को मजबूत करने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजरात से भाजपा ने चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र मेघजीभाई कंजारिया शामिल हैं। राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाक और मणिपुर से ए शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने देवाशीष सामंतराय पर भरोसा जताया है। सामंतराय हाल ही में बीजू जनता दल (बीजद) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने 25 मई को राज्यसभा सदस्यता और बीजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था तथा अगले ही दिन भाजपा का दामन थाम लिया था। उल्लेखनीय है कि 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन मतगणना और परिणाम घोषित किए जाएंगे।

असम : कछार में 4.5 करोड़ की मादक पदार्थ बरामद, तीन महिला समेत छह ड्रग्स तस्करो गिरफ्तार

असम, 04 जून 2026। असम के विभिन्न जिलों में नशा-विरोधी अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने कछार जिले की विभिन्न इलाकों में चलाए गये अलग-अलग अभियानों में तीन महिला समेत छह ड्रग्स तस्करो को गिरफ्तार किया है। वहीं, लगभग 4.5 करोड़ मूल्य की मादक पदार्थ भी बरामद किया है। कछार जिला पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को बताया कि उदारबंद पुलिस स्टेशन



अभियान में कलाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिगोरखाल क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के



मामले में, कलाइन की ओर आ रहे एक ट्रक (एएस-01सी-2533) को रोका गया। ट्रक से 14

साबुनदानी में रखी 170 ग्राम सॉलिट हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आजाद उद्दीन के रूप में की गयी है। इसी बीच जिला मुख्यालय शहर सिलचर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, फ्लोक बाजार के पास, नशीले पदार्थों की छेटी-मोटी तस्करी करने वाले एक व्यक्ति (तस्कर) अजीम उद्दीन लस्कर उर्फ 'काला' को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान,

उसके कब्जे से सॉलिट हेरोइन से भरी कुल 35 शीशियों बरामद की गईं, जिनका वजन लगभग 1.7 ग्राम था। जबकि, सिलचर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, सिलचर रेलवे स्टेशन के पास, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली एक महिला-गुल निहार बेगम लस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 15 साबुनदानी में रखी 298 ग्राम सॉलिट हेरोइन बरामद की गई।

संपादकीय



अंधेरगढ़ी की आग

दिल्ली में अवैध तरीके से विस्तारित हो रहे एक भवन के गिरने की चर्चा थमी भी नहीं थी कि एक होटल में आग लगने से 21 लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में अधिकांश वे हैं, जो पड़ोस के अस्पताल में अपने स्वजनों के उपचार के लिए आए थे। इनमें कई विदेशी भी थे। आग होटल के बेसमेंट में स्थित रेस्त्रां में लगी।

आग लगने का कारण कुछ भी हो, उसने इसलिए विकराल रूप ले लिया, क्योंकि रेस्त्रां और 25 कमरों वाले इस होटल में निकास का दरवाजा एक ही था। इससे भी खतरनाक बात यह थी कि न तो आग से बचाव के उपाय थे और न ही अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। साफ है कि अग्निशमन विभाग ने यह देखने की ज़रूरत नहीं उठाई कि इस होटल में आग से बचाव के उपाय हैं या नहीं?

तथ्य यह भी है कि इस होटल में कई कमरे अवैध तरीके से निर्मित हुए। छह की जगह 25 कमरे बना दिए गए और इस तरह एक छोटा होटल बड़े होटल में तब्दील हो गया। कहीं पर किसी भी भवन में अवैध निर्माण इस तरह करना संभव नहीं कि वह किसी को देखे नहीं, पर दिल्ली ही नहीं, देश भर में स्थायी निकायों के अधिकारी-कर्मचारी कुछ ले-देकर न केवल अवैध निर्माण होने देते हैं, बल्कि सुरक्षा उपायों की उपेक्षा भी। नतीजा यह है कि रह-रह कर आग लगने की जानलेवा घटनाएं होती रहती हैं।

जनहानि वाली हर घटना के बाद गहन जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, पर होता कुछ नहीं है। इस बार भी कुछ न हो तो हेरानो नहीं, क्योंकि हमारे औसत शासक-प्रशासक गंभीर हदसों से भी सबक न लेने के आदी हो गए हैं। स्थायी निकायों के वे अधिकारी-कर्मचारी कभी कठोर दंड का पात्र नहीं बनते, जो अवैध निर्माण और सुरक्षा उपायों की अनदेखी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। संबंधित मंत्री की भी कोई जवाबदेही नहीं तय होती। बहुत होता है तो एक-दो अधिकारियों-कर्मियों का निलंबन हो जाता है। इसके बाद सब शांत हो जाता है और जांच रपटें भूल फांकी रहती हैं एवं हदसों को निमंत्रण देने वाला निर्माण होता रहता है। नगर निकायों के बेलेगाम भ्रष्टाचार के कारण होने वाले अवैध निर्माण के चलते ही देश भर में रहियशी इलाके व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। सरकारें बदल जाती हैं, नगर निकायों के अधिकारी भी बदल जाते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं बदलता तो अवैध निर्माण और सुरक्षा उपायों की अनदेखी का सिलसिला। यह जानलेवा और शर्मनाक सिलसिला लोगों की जानें ही नहीं ले रहा है, देश की बदनामी कराने के साथ विकसित भारत की अपेक्षाओं पर पानी भी फेर रहा है। बार-बार पहले जैसे कारणों से हदसे होना अंधेरगढ़ी, नकाराण और नियामकीय बेशर्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

"कोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से स्मृति भ्रान्त हो जाती है, स्मृति भ्रान्त हो जाने से वृद्धि का नाश हो जाता है और वृद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है।"

- भगवान कृष्ण



बढ़ते तापमान से जीव सृष्टि अलर्ट मोड पर



डॉ. प्रितम भट्टनाग

जिव सृष्टि के लिए केवल एकमात्र आधार पेड़ है, पेड़ खास मतलब पृथ्वी से जीवन समाप्त। प्रकृति का एकदम सरल नियम है कि, पेड़ हमें बचाते हैं, हमें उन्हें बचाना है। अगर हम प्रकृति की रक्षा में लिए 1 प्रतिशत भी योगदान देते हैं तो उसके तुलना में प्रकृति 100 प्रतिशत समृद्धि हमें लाती है। कोरोना काल में हम सबसे देखा की, जब प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप थम गया था, तब प्रकृति तेजी से अपने आप को समृद्ध कर रही थी। आज विडंबना है कि, जो निस्वार्थ समृद्ध पेड़ दशकों तक मॉ की तरह हमें अपने आँचलिक की छंव में धूप से बचाता था, फल-फूल देता था, पछियों का रेनबेसएर हवा करता था, बरसात में भीम के कटाव को रोकता था, मनुष्य के लिए जहरीली कार्बनडाइ ऑक्साइड को खुरद अवशोषित करके प्राणवायु ऑक्सीन न हमें देता था। वातावरण में नमी और तापमान को नियंत्रित कर प्रकृतिक स्रोतों को समृद्ध बनाने में मुख्य भूमिका निभाता था। आज उसी पेड़ को काटने पर लोगों को जरा भी दु:ख नहीं होता, जबकि हमारे पुरे जीवन और स्वास्थ्य पर इसका गंभीर परिणाम हो रहा है, क्या हम इतने गिरे हुए स्वार्थी लोग हैं कि, जो हमें जीवन देगा उसकी जान हम ही लेंगे।

आज प्रकृति में बदलते वातावरण की चोट हम सबको झेलनी पड़ रही है, स्वार्थी लोगों की गलत नीतियों ने संपूर्ण पर्यावरण में जहर घोल दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जंगल कटाई ने पृथ्वी पर तापमान बढ़ाया है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा, सड़कें आग की भट्टी की तरह महसूस हो रही हैं और भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। खाद्यांत्रों में लगातार बढ़ती घातक रासायनिक समृद्धता लोगों को मौत के मुंहाने पर धकेल रही है। एक दशक पहले तक जब धूप में घूमते थे, बच्चे धूप में खेलते थे, तो सिर्फ गर्मी महसूस होती थी, खेलते-खेलते किसी पेड़ के छंव में भी बैठ जाएं तो बड़ी ठंडक महसूस होती थी। लेकिन अब तो यह धूप जहरीली हो चुकी है, शरीर को तपाने के साथ उबालती, बीमार भी करती है। शहरों के कॉन्क्रीट के जंगल में घने छायादार वृक्ष का दिखना भी दुर्लभ होता जा रहा है।

लू से मरनेवालों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, सबसे ज्यादा असर गरीबों, बुजुर्गों, बच्चों और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ता है, क्योंकि जीवन यापन के लिए उनका संघर्ष अत्यधिक कष्टदायक होता है, सीईडीब्ल्यू के अनुसार, निर्माणकार्य मजदूरों, गिग वर्कर्स और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों जैसे कमजूर तबकों को गर्मी के तनाव का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। गरीबों को इस गर्मी में भी दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करने पर मजबूर होना पड़ता है, उनकी आमदनी और उत्पादकता दोनों गिरती हैं। गर्मी के कारण 2030 तक जीडीपी में 4.5 प्रतिशत तक की संभावित गिरावट आ सकती है, गर्मी के कारण फसलों को नुकसान और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। द लैंसेट में 2024 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, लू के दौरान काम करने की क्षमता कम होने से हर साल लगभग 194 अरब डॉलर की आमदनी का नुकसान होता है, इस सदी



प्रकाशक: मित्रक शर्मा-क्याप

के आखिर तक पूरे भारत में गर्मियों में चलने वाली लू की घटनाएं 300 से 400 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। गर्मियों में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिरने के कारण बहुत से ग्रामीणों और दूर-दराज क्षेत्र के रहवासियों को पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पे रहा है, अनेक बार सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक थोड़ेसे पानी के लिए रोजाना कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलते हैं, जान जोखिम में डालकर 50-60 फीट नीचे गहरे गड्ढे में उतरकर दूषित जल पीने के लिए बर्तनों में भरते हैं। जीवनावश्यक जल के लिए ऐसा संघर्ष, मजबूरी देखकर बहुत दु:ख होता है। प्रकृति ने हर एक के लिए शुद्ध जल, हवा, पोषक खाद्य की सुविधा की है, परंतु प्रकृति का संतुलन बिगाड़कर स्वार्थी मनुष्य ने समस्त जीवसृष्टि के लिए खतरा पैदा किया है। लोगों के ये हाल है तो, इस बढ़ते तापमान में जंगलों में बेजुबान वन्य पशुओं के कितने बुरे हालात होने होंगे।

भौगोलिक रूप से हमारा देश उष्ण माना जाता है, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने से वातावरण में गर्मी बे 1 है, इससे मूल तापमान लगातार बढ़ता जाता है, प्राकृतिक हरियाली और प्राकृतिक ठंडक देने वाले संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं, तेजी से फैलते रहे प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, लू के दौरान काम करने की क्षमता कम होने से हर साल लगभग 194 अरब डॉलर की आमदनी का नुकसान होता है, इस सदी

भी शहरों का तापमान कम नहीं हो पाता। विकास के लिए शहरों के आसपास के सभी गांवों से उपजाऊ भूमि और खेती पर इमारतें बन रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, दुनिया भर में हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाते हैं, यह हर 12 महीने में आइसलैंड या पुर्तगाल के बराबर एरिया को साफ करने के बराबर है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, भारत में हर साल खेती, वनों की कटाई और बुनियादी ढांचे का विकास की वजह से 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा प्राकृतिक जंगल और वृक्ष आवरण खत्म हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार, विकास प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार की इजाजत से हर साल लगभग 20 से 30 लाख पेड़ काटे जाते हैं।

1990 और 2000 के बीच भारत में 384,000 हेक्टेयर जंगल कम हुए, लेकिन 2015 और 2020 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 668,400 हेक्टेयर हो गया। यूनाइटेड किंगडम की एक वेबसाइट, वृटिलिटी बिज, जो एनर्जी और वृटिलिटी कॉस्ट की तुलना करती है, की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में भारत ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है, जहाँ इन सालों में औसतन 668,400 हेक्टेयर जंगल काटे गए। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जहाँ प्राकृतिक नजारों की जगह कंन्क्रीट और कंच की इमारतें खड़ी हूयी, ये दिन में गर्मी सोखकर रात में धीरे-धीरे उसे बाहर निकालती हैं, जिससे सूरज डूबने के बाद

पर्यावरण बचाने के लिए हम सब को आगे आना होगा



लाल बिहारी लाल, नई दिल्ली

जब इस श्रृष्टि का निर्माण हुआ तो इसे संचालित करने के लिए जीवों एवं निजीवों का एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए जीवों एवं निजीवों के बीच एक परस्पर संबंध का रूप प्रकृति ने दिया जो कलान्तर में पर्यावरण कहलाया। जीवों के दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए उष्मा रूपी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और यह ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से धरती के गर्भ में छिपे खनिज लवण, जल, वायु एवं फसलों के उत्पादन से अन्न एवं फल-फूल से प्राप्त होती है। लेकिन अलग-धारे आबादी बढ़ी तो इनकी मांग भी बढ़ने लगी। लेकिन आबादी तो गुणात्मक रूप से बढ़ी पर संसाधन प्राकृतिक रूप से ही बढ़े। इस बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव तेजी से बढ़ा फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेजी से हुआ। जिससे पर्यावरण की नींव हिल गई। और इस प्रकृति द्वारा दिए सीमित संसाधनों के भण्डार के दोहन से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा है। 1844 में औद्योगिक क्रांति के बाद पर्यावरण पर दबाव काफी बढ़ा जिससे बढ़ती हुई आबादी का बचाव, यातायात के लिए परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण से वनों की अंधाधुंध कटाई एवं काल कारखानों से निकलने वाले धुआं से वायु प्रदूषित होने एवं शहरों में जमीन को कंन्क्रीट में बदल देने के कारण पर्यावरण का स्तर काफी दयनीय होने लगा इसे बचाने के लिए देश दुनिया में अलग-अलग प्रयास किये गये।

आज से ठीक 296 साल पहले सन 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव के लोगों ने खेजड़ी के वनों को बचाने के लिए सामूहिक रूप से 363 विशरौई समाज के लोगों ने खेजड़ी के वन को बचाने के लिए बलिदान दी थी। कलान्तर में दुनिया के अनेक स्थानों पर अलग-अलग प्रयास होते रहे पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एवं यूएन.डी.पी. के संयुक्त प्रयास से जल, जमीन एवं पर्यावरण को बचाने तथा राजनीतिक एवं सामाजिक जागृति फैलाने के लिए दुनिया में पहली बार स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून तक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद सन 1973 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। क्योंकि बिना जागरूकता और सामाजिक भागिदारी के पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

सन 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के समय अनेक समस्याये थी इसलिए सरकार पर्यावरण पर कोई खास ध्यान केन्द्रित नहीं कर पायी। जिससे सविधान में इस बात की चर्चा नहीं हो सकी। पर 1948 में बड़े-बड़े उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए फैक्ट्री नीतियाँ बनाई गईं जो पर्यावरण का ही एक हिस्सा थी। सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत द्वारा 1976 में सविधान संशोधन कर सविधान में दो धाराएँ जोड़ी गईं। धारा 48ए तथा धारा 51ए(जी), धारा 48ए के तहत सरकार पर्यावरण संरक्षण के संबंधित जल, जमीन, वायु एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए नीतियाँ बना सकती है वहीं धारा 51ए(जी) के तहत नागरिकों भी दायित्व बनता है कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। इसके बाद सरकार द्वारा जल स्रोतों को बचाने के लिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 तथा 1977, वायु को बचाने के लिए वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 लाया गया। वन एवं वन्य जीव रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1986 एवं 1991 तथा वनों के संरक्षण के लिए वन



संरक्षण अधिनियम 1980, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम 1987 लेकर आई। इन सभी को सामूहिक रूप से मजबूत करने के लिए 1886 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आई। इसी वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पर्यावरण एवं कृषि मंत्रालय से वन को निकासकर एक अलग मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। ताकि देश में पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठया जा सके।

सन 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। जैव विविधता के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है जबकि एशिया में 4थें स्थान पर है। अकेले भारत में 45,000 पेड़-पौधे तथा 81,000 जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। जो विश्व की लगभग 7.1 नबनसर्तियों तथा 6.5 प्रतिशत जानवरों की प्रजातियाँ मे से है। जैव विविधता संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों वैज्ञानिकों, पर्यावरण विद्वानों तथा आम जनता की भागिदारी से इसे बचाने के लिए उठयाया जा सके। कदम है क्योंकि बिना जनभागिदारी के पर्यावरण को बचाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय जल नीति 1 अप्रैल 2002 को लागू किया गया। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा पारित इस नीति का मुख्य उद्देश्य जल के संरक्षण पर बल देना है। इसके तहत नदियों का जल संरक्षण पर आम सहमति बनाना, जल बंटवारे को सुलझाना, जल-संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के साथ-साथ जन भागिदारी एवं जागरूकता पर बल देना ताकि जल को मानव के उपयोग के लिए बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 के तहत संकटग्रस्त पर्यावरण संसाधनों का

संरक्षण करना, जीवों के समान अधिकारों की रक्षा करना, वर्तमान में संसाधनों के उचित एवं भावी पीढ़ी के ध्यान में रखकर उपयोग करना तथा आर्थिक एवं समाजिक नीतियाँ बनाते समय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखने की वकालत करता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित अधिकारों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह 18 दिसंबर 2006 से लागू है। यह कानून जंगल में रह रहे लोगों के भू-अधिकार तथा प्रकृति पर निर्भरता को लेकर है, जो उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। इससे जनजातियों को काफी फायदा होगा। पर्यावरण एवं कृषि मंत्रालय से वन को निकासकर एक अलग मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। ताकि देश में पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठया जा सके।

सन 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। जैव विविधता के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है जबकि एशिया में 4थें स्थान पर है। अकेले भारत में 45,000 पेड़-पौधे तथा 81,000 जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। जो विश्व की लगभग 7.1 नबनसर्तियों तथा 6.5 प्रतिशत जानवरों की प्रजातियाँ मे से है। जैव विविधता संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों वैज्ञानिकों, पर्यावरण विद्वानों तथा आम जनता की भागिदारी से इसे बचाने के लिए उठयाया जा सके। कदम है क्योंकि बिना जनभागिदारी के पर्यावरण को बचाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय जल नीति 1 अप्रैल 2002 को लागू किया गया। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा पारित इस नीति का मुख्य उद्देश्य जल के संरक्षण पर बल देना है। इसके तहत नदियों का जल संरक्षण पर आम सहमति बनाना, जल बंटवारे को सुलझाना, जल-संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के साथ-साथ जन भागिदारी एवं जागरूकता पर बल देना ताकि जल को मानव के उपयोग के लिए बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 के तहत संकटग्रस्त पर्यावरण संसाधनों का

सुरक्षा के लिए जेनरेटर पर प्रतिबंध एवं 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का आदेश देना तथा उसके आस पास हरित पट्टी विकसित करना। 2010 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना करना जो आज देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत अग्रणी संस्था है। समय समय पर सरकार भी इसके अलावे पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाती रहती है। मसलन दिल्ली में 2006 और इवेन फार्मुला, दिल्ली में सी.एन.जी बसों को चलाना, मैट्रो रेल पर जोड़ देना मुख्य है। इसके अलावे अब सरकार दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रीक बस , कार एवं दुपहिया वाहन पर सबसिडी देकर इसे प्रोत्साहित कर रही है ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोका जा सके। लेकिन यह तभी संभव है जब जनता भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागिदारी का रोल खेला और पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए आगे आये। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न करे न की दोहन। मानव पेड़ को काटने से बचे, अतः पहले हाथ से कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाये आसपास जाना हो तो साईकिल का प्रयोग करे या पैदल जाये जिससे सेहत भी ठीक रहेगा और पर्यावरण भी नीजि वाहन के बजाये सार्वजनिक वाहन- बस, रेल या मैट्रो का प्रयोग करे या फिर कार, पूल का प्रयोग करे तभी पर्यावरण संरक्षण के सही तरीके से कारगर बनाया जा सकता है। तभी विश्व पर्यावरण दिवस की सार्थकता सिद्ध हो पायेगी। पिछले दिनों वन पर रिपोर्ट आयी है जिसमें वन एवं वृक्ष आवरण 2019 की तुलना में 2021 में 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। बात करे 18वें वन रिपोर्ट , 2023 की तो देश में 2021 की तुलना में 1445 वर्ग कि.मी. वन एवं वृक्षारण्य क्षेत्र बढ़ा है। जो कूल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। यह देश के लिए सुखद है फिर भी पर्यावरण बचाने के लिए हम सब को आगे आना ही होगा।

स्वास्थ्य और दीर्घायु का आधार, 62 की उम्र में अनुशासित जीवनशैली

डॉ. मुस्ताक अहमद शाह सहज, हरत, मध्य प्रदेश

जीवन के साठ से अधिक वसंत देख लेने के बाद भी फिटनेस और एक अनुशासित दिनचर्या के प्रति सजग रहना वाकई एक प्रेरणादायक स्रोत है। इस उम्र में स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी भारी कसरत या कठिन व्यायाम से नहीं, बल्कि शरीर में निरंतर ऊर्जा, मांसपेशियों में लचीलापन और मन में गहरी शांति बनाए रखने से है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर एक निश्चित प्राकृतिक लय और ठहराव की मांग करता है। इस अवस्था में दिनचर्या को जितना नियमित और व्यवस्थित रखा जाए, शरीर की पाचन क्रिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता और नींद की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर रहती रहेगी। एक आदर्श और अनुशासित जीवन की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है, जहाँ सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीने से शरीर के भीतर के अंग सक्रिय होते हैं और विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हल्की धूप में की जाने वाली सैर न केवल हृदय को मजबूती देती है बल्कि हड्डियों के लिए अतिव्यायं विटामिन-डी की कमी को भी पूरा करती है। सुबह की इस ताजी हवा के बाद अनुलोम-विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं तथा मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देते हैं। जोड़ों को सक्रिय रखने के लिए हल्के स्ट्रेचिंग या सूक्ष्म व्यायाम इस उम्र के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। दिन के मध्य में शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दोपहर के भोजन के बाद लगभग आधे घंटे की एक सक्षिप्त झपकी या पावर नैप ली जा सकती है, जो मस्तिष्क को तरोताजा कर देती है, बशर्ते यह गहरी नींद में न बदले ताकि रात का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम सात से आठ घंटे की गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी और आरामदायक नींद मिल सके, पूरे दिन से कम से कम एक घंटे का शयन चक्र प्रभावित न हो। शाम का समय प्रकृति के सान्निध्य में बिताने, संगीत सुनने या परिवार के साथ खुलकर संवाद करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुकून भी शारीरिक फिटनेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः, रात को सही गहरी

झाड़ू, साड़ी की गठरियां और लकजरी बस.... 8 किचंटल गांजा लेकर कटनी जा रहा था गिरोह!

बस रुकते ही भागे महिला-पुरुष...जयनगर पुलिस के हाथ लगा करोड़ों का माल...

▶▶ झाड़ू-हेल्पर हिरासत में...अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की आशंका

▶▶ पुराने हिसाब-किताब और मुखबिरी के एंगल ने मामले को बनाया और रहस्यमय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर/जयनगर, 04 जून 2026
(घटती-घटना)।

गांजा तस्करी के इतिहास में तस्करी लगातार नए-नए तरीके खोजते रहे हैं, कभी ट्रक में मध्यजंजीरों के नीचे, कभी पिकअप में फलों के बीच और कभी कारों में गुप्त चैम्बर बनाकर गांजा लो जाया जाता रहा है, लेकिन इस बार जो तरीका सामने आया है, उसने पुलिस और आम लोगों दोनों को हैरान कर दिया है, तस्करी ने कथित तौर पर पूरी की पूरी एक लकजरी यात्री बस ही बुक कर ली और उसमें महिला, पुरुष और बच्चों को बैठाकर गांजे की बड़ी खेप मध्यप्रदेश के कटनी भेजने निकल पड़े, लेकिन कहते हैं कि अपराध कितना भी शांति क्यों न हो, कहीं न कहीं कोई न कोई गलती कर ही देता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और एक सूचना ने पूरे खेल को बिगाड़ दिया, जयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लकजरी बस से लगभग 8 किचंटल गांजा बरामद किया है, हालांकि बस में सवार अधिकांश लोग पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए, लेकिन गांजे की भारी खेप बस और उससे जुड़े कई सवाल अब पुलिस जांच के केंद्र में हैं।

कालीघाट से शुरू हुई कहानी

जानकारी के अनुसार नीलम बस क्रमांक सीजी-15-ईएच-4301 अम्बिकापुर से मध्यप्रदेश के कटनी की ओर रवाना हुई थी, रास्ते में अम्बिकापुर-मनेंद्रगढ़ मार्ग स्थित कालीघाट के पास करीब 20 महिला, पुरुष और बच्चे बस में

बस रुकी और शुरू हो गई भगदड़

जैसे ही बस को रोका गया, अंदर बैठे लोगों को शायद समझ में आ गया कि मामला बिगड़ चुका है, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस रुकते ही उसमें बैठे महिला-पुरुष और कुछ अन्य लोग तेजी से नीचे उतरे और आसपास के क्षेत्रों में भागने लगे, कुछ लोग खेतों की ओर भागे, कुछ जंगल की दिशा में निकल गए और कुछ ने अंधेरे तथा भीड़ का फायदा उठाकर खुद को बचा लिया, जब तक पुलिस मौके पर पूरी तरह पहुंचती, अधिकांश सदिध लोग फरार हो चुके थे।

गठरियां खुलीं तो निकला गांजे का पहाड़

फरार लोगों की तलाश के साथ पुलिस ने बस की तलाशी शुरू की, जब एक-एक कर गठरियों को खोला गया तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। साड़ियों में बंधी लगभग सभी गठरियों में गांजा भरा हुआ था, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बरामद गांजे की मात्रा लगभग 8 किचंटल बताई जा रही है, यदि यह मात्रा आधिकारिक जांच में सही पाई जाती है तो यह क्षेत्र की बड़ी गांजा बरामदगी में शामिल हो सकती है, पुलिस ने मौके पर ही गांजा जब्त कर लिया और बस को जयनगर थाना परिसर में खड़ा करा दिया।

सवार हुए, उनके हाथों में झाड़ू थे, साथ में साड़ियों में बंधी बड़ी-बड़ी गठरियां थीं, पहली नजर में यह किसी ग्रामीण परिवार या समूह की यात्रा जैसी तस्वीर दिखाई दे रही थी, बस में बैठे अन्य लोगों को भी शायद यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि इन गठरियों में कपड़े या धरेलू सामान नहीं बल्कि गांजा भरा हुआ है।

एक चालक की नजर ने बदल दी पूरी कहानी

सूत्रों के अनुसार एक वाहन चालक की नजर इन सदिध यात्रियों पर पड़ी, उसे उनके व्यवहार और गठरियों पर संदेह हुआ, बताया जाता है कि उसने

डायल-112 और जयनगर पुलिस को सूचना दी कि बस में बड़ी मात्रा में गांजा हो सकता है, सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस ने सिलफिली क्षेत्र में स्थानीय लोगों की मदद लेकर बस को रोकने की योजना बनाई, घटना के बाद बस चालक और हेल्पर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई, अब पुलिस के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या बस चालक को इस पूरे खेल की जानकारी थी या वह केवल किराये पर बस चलाने का काम कर रहा था, पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बस की बुकिंग किसने कराई थी, भुगतान किसने किया था और यात्रा की वास्तविक योजना क्या थी।



चार महीने पुराना मामला बना कार्रवाई की वजह?

घटनास्थल पर मौजूद लोगों और सूत्रों के अनुसार इस गिरोह का नाम पहले भी गांजा तस्करी के मामलों में सामने आ चुका है, बताया जा रहा है कि लगभग चार महीने पहले भी इसी समूह ने अम्बिकापुर क्षेत्र से एक पिकअप वाहन बुक कर गांजा मध्यप्रदेश भेजने का प्रयास किया था, उस समय वाहन कटनी क्षेत्र में पकड़ा गया था, जबकि कथित मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे, उस मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और वह अब तक जेल में है, सूत्रों का दावा है कि उसी चालक के परिजनों ने इस बार पूरे गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी और पुलिस तक सूचना पहुंचाई, हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल क्यों?

पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर महिला और बच्चों को साथ लेकर यात्रा क्यों की जा रही थी? जांच से जुड़े लोगों का मानना है कि यह पुलिस और अन्य एजेंसियों का संदेह कम करने की एक रणनीति हो सकती है, आमतौर पर परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोगों पर कम शक किया जाता है, यही कारण है कि तस्करी कई बार महिलाओं और बच्चों को भी साथ रखते हैं ताकि उनका नेटवर्क सामान्य यात्रियों जैसा दिखाई दे।

कटनी क्यों बन रहा है गांजा तस्करी का बड़ा स्टू?

सूत्रों के अनुसार बरामद गांजा मध्यप्रदेश के कटनी क्षेत्र तक पहुंचाया जाना था, पिछले कुछ वर्षों में ज़ीसगाढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से निकलने वाली गांजा खेपों के लिए मध्यप्रदेश एक प्रमुख ट्रान्जिट और सत्याई रुट बनकर उभरा है, कटनी, शाहडोल, उमरिया, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई बार बड़ी गांजा खेपें पकड़ी जा चुकी हैं, इस कारण पुलिस अब इस पूरे मामले को केवल एक बस तक सीमित नहीं मान रही बल्कि इसके पीछे सक्रिय बड़े नेटवर्क की संभावना भी देख रही है।

अंत में सवाल

■ सबसे बड़ा सवाल: असली खिलाड़ी कौन? ■ आखिर इस पूरी खेप का मालिक कौन है?

8 दिन बाद थमा राजस्व अधिकारियों का आंदोलन, 15 दिन के लिए हड़ताल स्थगित

दो नामजद आरोपियों के सरेंडर के बाद बनी सहमति, मार्गें पूरी नहीं होने पर फिर शुरू हो सकता है आंदोलन



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो और राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच हुए विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में नामजद दो आरोपियों के सरेंडर करने तथा पुलिस द्वारा चेकलिस्ट में दर्ज बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ और राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 15 दिनों के लिए स्थगित कर दी है। लगातार आठ दिनों तक चले आंदोलन से तहसील, एसडीएम कार्यालय सहित अन्य राजस्व कार्यालयों का कामकाज प्रभावित रहा। हड़ताल के कारण नामांतरण, बंटवारा, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र समेत कई राजस्व संबंधी कार्य लंबित हो गए थे, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। संघ और प्रशासन के बीच हुई चर्चा में 15 दिनों के भीतर सीतापुर विधायक तथा एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर सहमति बनी है। इसके बाद गुरुवार से अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में लौट आए हैं। तहसील, एसडीएम और राजस्व विभाग के अन्य कार्यालयों में नियमित कामकाज भी शुरू हो गया है। हड़ताल के दौरान लंबित हुई फाइलों के निपटारे के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आंदोलन स्थगित होने से आम लोगों को राजस्व संबंधी सेवाएं अब फिर से नियमित रूप से मिल सकेंगी। अम्बिकापुर तहसीलदार विकास जिंदल ने बताया कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के निर्देश पर आंदोलन को 15 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर संगठन की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो पदाधिकारियों के निर्देश पर दोबारा आंदोलन शुरू किया जा सकता है।

सीएमएचओ को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित का खंडन किया है। साथ ही वस्तुस्थिति की जानकारी के बिना प्रेस विज्ञापित जारी करने के मामले में सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार, 2 जून 2026 को सीएमएचओ कार्यालय से प्रकाशित विज्ञापित में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट राजेश कुमार के सहायक मलेरिया अधिकारी पद पर समायोजन संबंधी जानकारी प्रकाशित की गई थी। संभागीय संयुक्त संचालक ने स्पष्ट किया है कि संबंधित समायोजन आदेश त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर 12 दिसंबर 2025 को ही तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं शून्य कर दिया गया था। इसके लिए उसी दिन कार्यालयीन आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद निरस्त आदेश के आधार पर प्रेस विज्ञापित जारी किए जाने को गंभीर त्रुटि मानते हुए सीएमएचओ अम्बिकापुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संयुक्त संचालक ने कहा कि मामले में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

3 हजार रुपए प्रति खाते के लालच में बेच दिए 4 बैंक अकाउंट, साइबर टगी के करोड़ों के लेनदेन से जुड़ा निकला युवक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

साइबर अपराधियों को बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले म्यूल् अकाउंट नेटवर्क के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। थाना गांधीनगर पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में नीरज गुप्ता नामक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने महज 3 हजार रुपए प्रति खाते के लालच में अपने तीन बैंक खाते और अपने भाई का एक बैंक खाता दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया था। बाद में इन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर टगी और सदिध वित्तीय लेनदेन के लिए किया गया। सरगुजा पुलिस के अनुसार, डीआईजी एच.एस.एस.पी. राजेश अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर में म्यूल् अकाउंट, फर्जी सिम कार्ड, पीओएस मशीनों और साइबर अपराध से जुड़े सदिध बैंक खातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना गांधीनगर में दर्ज अपराध क्रमांक 151/2026 की विवेचना के दौरान यह गिरफ्तारी की गई।

मुखबिरी की सूचना से खुला था पूरा नेटवर्क: पुलिस को 19 मार्च 2026 को मुखबिरी से सूचना मिली थी कि



बनारस रोड स्थित एसबीआई बैंक शाखा के समीप एक किराए के मकान में रहकर राहुल गुप्ता नामक युवक अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहा है। सूचना में बताया गया था कि वह युवाओं को कुछ हजार रुपए का लालच देकर उनके नाम से नए सिम कार्ड खरीदवाता था और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खोलवाता था। इसके बाद खाते से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड खरीदवाता था और उन्हीं साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया जाता था। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन टगी, फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल फ्रॉड और अन्य आर्थिक अपराधों से प्राप्त

रकम को ड्र-उपर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।

मुख्य आरोपी के कब्जे से मिली कई बैंक पासबुक: मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से कई बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। इनमें नीरज गुप्ता के नाम से संचालित भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक के खातों की पासबुक भी शामिल थीं। पुलिस जांच में इन खातों में असामान्य रूप से बड़ी राशि का लेनदेन पाया गया। साथ ही यह भी सामने आया कि इन खातों के माध्यम से साइबर टगी से जुड़ी रकम का ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद पुलिस ने संबंधित खाता धारक नीरज गुप्ता को पूछताछ के लिए तलब किया।

पूछताछ में कबूला खाते बेचने का सच: पुलिस पूछताछ के दौरान नीरज गुप्ता ने स्वीकार किया कि उसने अपने तीन बैंक खाते और अपने भाई का एक बैंक खाता आरोपी विकास किर्तनिया को उपलब्ध कराया था। इसके बदले उसे प्रति खाते 3 हजार रुपए दिए गए थे। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए अपने बैंक खातों का नियंत्रण दूसरे लोगों

एस्बेस्टस सीट टूटने से गिरकर घायल हुए शिक्षक की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

एस्बेस्टस सीट टूटने से गिरकर घायल हुए शिक्षक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिला के कुनकुरी थाना अंतर्गत ग्राम खुटगांव निवासी थोमस पन्ना पिता स्व. सोमन पन्ना 55 वर्ष, लैशुंगा, रायगढ़ के प्राथमिक शाला में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। तीन जून को वह अपने गृहग्राम घर का मरम्मत कराने के लिए आया था, और सोड़ी लगाकर एक अन्य मजदूर के साथ घर के एस्बेस्ट सीट में चढ़ा था, इसी दौरान अचानक एस्बेस्टस सीट टूट गया और वह नीचे गिरकर जख्मी हो गया।

नाम सुधार सूचना

मैं सखु पिता - साधु राम - 46 वर्ष निवासी ग्राम - भेडिया थाना व तहो लुण्डा जिला सरगुजा छठगं। यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम कवलपती पिता - सखु है जो कि वास्तविक और सही नाम है जो आज से मेरी पुत्री का नाम कवलपती (KAVALPATI) के नाम से जाना जाय जो कि सही और वास्तविक नाम है। मेरी पुत्री का शैक्षणिक प्रमाण में कवलपती (KAVALPATI) पिता सखु नाम दर्ज है परन्तु आवाकार्ड में मेरी त्रुटिवश कमलापती (KAMALAPATI) दर्ज हो गया है जो गलत है मेरी पुत्री का आधार कार्ड. 452291719645 है जो नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र में है वह सही नाम है जिसे अंकित किया जाये।

नाम सुधार सूचना

मैं हिरामनी राजवाड़े आ0 सुकुल राम राजवाड़े, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी रनपुरकलां, थाना गांधीनगर, तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, छठगं। यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मेरी पुत्री के आधार कार्ड नंबर- 9167 9188 6841 में आराधना राजवाड़े (Aradhna Rajwade) अंकित हो गया है, जिसे सुधार कर मेरी पुत्री के आधार कार्ड में सही नाम आराधना राजवाड़े (Aradhana Rajwade) अंकित किया जावे, जिसके संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः आज से सभी शासकीय अशासकीय एवं अन्य में मेरी पुत्री का सही नाम आराधना राजवाड़े (Aradhana Rajwade) पढ़ा एवं लिखा जाये।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (8000)

रा0प्र0क्र0 202507020700015 / ब-121/2024-25

प्रतिपत्ति नवशा का अंतिम ईश्वर प्रकाशन

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 202507020700015 / ब-121 / 2024-25 रोहित कुमार मिश्रा वगै. प्रति छ.ग. शासन में ग्राम हर्दिकवा स्थित खसरा नंबर 502 / 52, 502/50, 502/51 रकबा क्रमाशः 0.047, 0.048, 0.048 हे. भूमि का नक्शा सुधार कर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से मंगाया गया। जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त नक्शा बटोकन में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 12/06/2026 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार अम्बिकापुर, सरगुजा

किराये का रूम खाली करवाने की बात पर घर में घुसकर चाकू से हमला

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

किराए का रूम खाली करवाने की बात से नाज युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर चाकू से डंडे से हमला करने का मामला सामने

आया है। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार अंचल बड़ा भगवानपुर खुर्द का रहने वाला है। वह पुलिस को बताया है कि गजेन्द्र सिंह मेरा दास्त है। उसने किराए में कमरा हर्षित चक्रवर्ती को दिया था, जिसे

गजेन्द्र खाली करवा दिया था, इससे हर्षित नाराज था। 1 जून की रात्रि करीब 9 बजे अंचल गजेन्द्र सिंह के घर में था, उसी समय हर्षित चक्रवर्ती, रोहित एक्का और उसके साथी गजेन्द्र सिंह के घर के पास आये और दरवाजे को धक्का देने लगे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग रामानुजगंज

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना	
क्रमांक-1869/NIT-3/2026 2027 / व ले लि	दिनांक 01/06/2026
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :-	11/06/2026 अपराह्न 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :-	19/06/2026 अपराह्न 5.30 बजे तक
निविदाकारों की श्रेणी :-	22/06/2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे से
निविदा प्रपत्र की कीमत (रु. में) :-	ई-पंजीवन के अंतर्गत श्रेणी 'द' से 'अ' तक
कार्य की अवधि :-	750/-
कार्य का नाम :-	02 माह वर्षा ऋतु सहित
कार्य की अनुमानित लागत (लाख रु. में)	3
अमानत राशि (रु. में)	2.44
बैंक सेल्वेन्सी (रु. में)	2000.00
	100000.00
निविदा शर्त :-	निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.pwd.cg.nic.in में 'Live Tender' के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।
कार्यपालन अभियंता	
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग रामानुजगंज	
जो0नं0 - 262701161/1	

शिवनंदनपुर में भाजपा का अध्यक्ष, कांग्रेस का परिषद पर कब्जा, जनता ने दिया संतुलित जनादेश

रितेश जायसवाल बने पहले अध्यक्ष...15 वार्डों में कांग्रेस ने मारी बाजी

शिवनंदनपुर में कमल खिला,लेकिन परिषद में कांग्रेस का पलड़ा भारी अध्यक्ष पद भाजपा की झोली में,वार्डों में कांग्रेस की बढ़त,रोचक बने राजनीतिक समीकरण पहले नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को ताज,कांग्रेस को ताकत रितेश जायसवाल ने 364 वोटों से जीता अध्यक्ष पद,पार्षद चुनाव में कांग्रेस आगे निकली शिवनंदनपुर का फैसला,नेतृत्व भाजपा को,निगरानी कांग्रेस के हाथ पहले चुनाव में जनता ने साथी संतुलन,भाजपा को अध्यक्ष और कांग्रेस को परिषद की बढ़त शिवनंदनपुर में भाजपा का अध्यक्ष,कांग्रेस का परिषद पर दबदवा रितेश जायसवाल बने पहले अध्यक्ष,364 वोटों से जीते... 15 वार्डों में कांग्रेस 8 और भाजपा 7 सीटों पर विजयी

शिवनंदनपुर नगर पंचायत

पार्टी	वार्डों में जीत	कुल सीटें
कांग्रेस	8	15
भाजपा	7	15

अध्यक्ष पद: भाजपा विजयी | पार्षदों में कांग्रेस की बढ़त



सूरजपुर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)। नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत के प्रथम चुनाव का परिणाम सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। चुनाव परिणाम ने एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है, जहाँ अध्यक्ष पद पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज कर नगर पंचायत की कमान अपने हाथों में ले ली है, वहीं पार्षद चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर परिषद के भीतर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस प्रकार शिवनंदनपुर की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है, जिसमें सत्ता और संतुलन दोनों का संदेश छिपा हुआ दिखाई देता है। नगर पंचायत गठन के बाद पहली बार हुए इस चुनाव को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, मतदान से पहले जिस तरह राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले, आरोप-प्रत्यारोप हुए और बड़े नेताओं ने क्षेत्र में सक्रियता दिखाई, उससे स्पष्ट था कि यह चुनाव केवल नगर पंचायत का चुनाव नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव का परीक्षण भी था।

अध्यक्ष पद पर भाजपा की बढ़ी जीत

अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने युवा चेहरा रितेश जायसवाल को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने संजय सोनी पर भरोसा जताया था, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने घर-घर संपर्क अभियान चलाया और दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी, मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय सोनी को 364 मतों के अंतर से पराजित कर जीत दर्ज की, यह जीत भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नवगठित नगर पंचायत का पहला अध्यक्ष बनने का गौरव अब भाजपा के खाते में चला गया है, परिणाम घोषित

वार्डवार चुनाव परिणाम

वार्ड क्रमांक	विजेता प्रत्याशी	दल	प्राप्त मत	निकटतम प्रतिद्वंदी	प्राप्त मत
1	श्याम साहू	भाजपा	205	राजेंद्र प्रसाद यादव	95
2	प्रमिला साहू	भाजपा	122	आंचल यादव	79
3	अंशुल गोयल	कांग्रेस	141	राजेश जैन	73
4	मंजू खेमचंद गोयल	भाजपा	126	विनेश्वरी शांडिल्य	92
5	विमला सिंह	कांग्रेस	121	प्रमिता सिंह	67
6	वृंदेश सिंह	कांग्रेस	118	सुरेश कुमार बच्चल	49
7	अंजलि राजवाड़े	भाजपा	138	शमा परवीन	119
8	हृषीकेश शर्मा	कांग्रेस	122	अमित मिश्रा	83
9	संतोष जायसवाल	कांग्रेस	113	तारकेश्वर पटेल	106
10	वर्षा जायसवाल	भाजपा	121	रमेश कुमार सिंह	70
11	चंदन सिंह	कांग्रेस	80	कुंदन विश्वकर्मा	66
12	मनी बग्गा	भाजपा	127	वीपक मोनी	56
13	अहमद बाहिद	कांग्रेस	191	राजू पाटेल	157
14	दीपमाला सोनी	कांग्रेस	173	आकांक्षा गुप्ता	141
15	प्रशांत अग्रवाल	भाजपा	167	सप्री अग्रवाल	120

होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई, नगर पंचायत क्षेत्र में मिठाइयां बांटी गईं, फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। परिषद में कांग्रेस की बढ़त- अध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत के बावजूद वार्ड स्तर पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, 15 वार्डों में हुए चुनाव में कांग्रेस के 8 प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि भाजपा को 7 सीटों पर सफलता मिली,

यानी अध्यक्ष भाजपा का होगा, लेकिन परिषद में कांग्रेस की संख्या अधिक रहेगी, यही कारण है कि चुनाव परिणाम को राजनीतिक विश्लेषक 'मिश्रित जनादेश' की संज्ञा दे रहे हैं, इस परिणाम के बाद नगर पंचायत में भविष्य की राजनीति और परिषद की बैठकों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, परिषद में संख्या बल कांग्रेस के पास है जबकि अध्यक्ष पद भाजपा के पास है, ऐसे में कई निर्णयों में दोनों दलों के बीच समन्वय और



राजनीतिक समझदारी की परीक्षा होगी। चुनाव से पहले खूब गरमाया था माहोल- शिवनंदनपुर चुनाव केवल विकास और स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, मतदान से कुछ दिन पहले राजनीतिक वातावरण तब गरमा गया जब कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज आमर्स एक्ट के मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विश्रामपुर थाने के सामने प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपमुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, मामला राजनीतिक रंग पकड़ता गया और प्रशासन पर दबाव बढ़ा, बाद में डीएसपी स्तर की जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं किए जाने के आश्वासन के बाद विवाद शांत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव को और अधिक चर्चित बना दिया।

85 प्रतिशत से अधिक मतदान ने बढ़ाई थी उत्सुकता- 1 जून को हुए मतदान में मतदाताओं ने रिकॉर्ड उत्साह दिखाया था, कुल 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ था, इतनी बड़ी भागीदारी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि जनता इस चुनाव को लेकर गंभीर है, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया था, मतदान प्रतिशत ने यह स्पष्ट

कर दिया था कि जनता नगर पंचायत के भविष्य को लेकर सजग है और विकास के मुद्दों पर अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस को वार्डों में बढ़त क्यों मिली?- राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने वार्ड स्तर पर स्थानीय समीकरणों का बेहतर लाभ उठाया, कई वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की व्यक्तिगत पकड़ और स्थानीय नेटवर्क मजबूत दिखाई दिया, वहीं भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव में संगठनात्मक रूप से अधिक प्रभावी नजर आई यही कारण रहा कि अध्यक्ष पद भाजपा जीत गई,लेकिन वार्ड स्तर पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली।

भाजपा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह जीत?- भाजपा के लिए यह जीत केवल एक नगर पंचायत जीतने का मामला नहीं है,नवगठित नगर पंचायत का पहला अध्यक्ष भाजपा के खाते में जाना राजनीतिक दृष्टि से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में स्थानीय निकाय चुनावों को भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के संकेतक के रूप में देखा जाने लगा है। कांग्रेस भी खुद को हारने वाला नहीं मान रही- हालांकि अध्यक्ष पद कांग्रेस के हाथ

से निकल गया,लेकिन पार्टी वार्डों में मिली बढ़त को अपनी उपलब्धि के रूप में देख रही है, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परिषद में उनकी संख्या अधिक है और विकास कार्यों तथा जनहित के मुद्दों पर उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी।

अब शुरू होगी विकास की असली परीक्षा- चुनाव खत्म हो चुके हैं। नारे,भाषण और प्रचार अभियान अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, अब जनता की नजर केवल विकास पर है, शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं,सड़क, नाली, पेयजल,स्ट्रीट लाइट,स्वच्छता,बाजार व्यवस्था और शहरी सुविधाओं को लेकर लोगों को नई उम्मीदें हैं, अब अध्यक्ष भाजपा का है और परिषद में कांग्रेस का बहुमत है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल विकास के मुद्दों पर सहयोग करते हैं या राजनीतिक खींचतान नगर पंचायत के कामकाज को प्रभावित करती है।

जनता ने दिया संतुलित संदेश- शिवनंदनपुर के पहले चुनाव ने यह साबित कर दिया कि मतदाता अब केवल दल नहीं बल्कि स्थानीय समीकरणों और उम्मीदवारों को भी ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं, जनता ने भाजपा को अध्यक्ष पद देकर नेतृत्व सौंपा है, वहीं कांग्रेस को परिषद में मजबूत उपस्थिति देकर संतुलन भी कायम रखा है, अब यह जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे इस जनादेश का सम्मान करें और नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत को विकास, पारदर्शिता और बेहतर नागरिक सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़ाएं, फिलहाल इतना तय है कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत का पहला चुनाव केवल चुनाव नहीं बल्कि विकास क्षेत्र की नई राजनीतिक दिशा तय करने वाला जनादेश साबित हुआ है।

'हमें प्रथम नहीं बनना,हमें काम करना है'- कलेक्टर रोवितामा यादव का यह मंत्र बदल सकता है कोरिया की प्रशासनिक तस्वीर

रैकिंग की दौड़ से ज्यादा योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर जोर, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

- पांच घंटे की समीक्षा बैठक में दिया स्पष्ट संदेश - प्रतिस्पर्धा नहीं, समय पर परिणाम चाहिए
- 'काम कर देंगे' नहीं, 'काम हो गया है' सुनना चाहती हैं कलेक्टर

-रवि सिंह-

कोरिया, 04 जून 2026 (घटती-घटना)। सरकारी बैठकों में अक्सर लक्ष्य,उपलब्धि,रैकिंग और राज्य स्तर पर प्रथम आने की चर्चा होती है,लेकिन कोरिया जिले में आयोजित पांच घंटे लंबी समीक्षा बैठक में जो बात निकलकर सामने आई,वह सामान्य प्रशासनिक सोच से बिल्कुल अलग थी,जिला पंचायत के मंथन सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर रोवितामा यादव ने अधिकारियों को जो संदेश दिया, यदि उसे गंभीरता से लागू कर लिया गया तो कोरिया जिले की प्रशासनिक कार्यशैली में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है,बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका उद्देश्य जिले को किसी भी कीमत पर प्रथम स्थान पर पहुंचाना नहीं है,उन्होंने अधिकारियों को समझाते हुए कहा कि प्रशासन का असली उद्देश्य रैकिंग की दौड़ नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं को समय पर जनता तक पहुंचाना होना चाहिए, कलेक्टर का यह दृष्टिकोण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अधिकारियों की तंत्र में आंकड़ों और रैकिंग की प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि कई बार वास्तविक काम पीछे छूट जाता है,लेकिन कोरिया कलेक्टर ने साफ संकेत दिया कि उन्हें नंबरों की बाजीगरी नहीं बल्कि परिणाम चाहिए। बता दें की जिला पंचायत के मंथन सभाकक्ष में आयोजित पांच घंटे लंबी समीक्षा बैठक केवल विभागीय आंकड़ों की समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह बैठक कोरिया जिले की प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को लेकर एक स्पष्ट और सख्त संदेश देने वाली साबित हुई,पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी, समाज कल्याण और जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती रोवितामा यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अब केवल आश्वासन और प्रस्तुतिकरण का दौर नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर परिणाम दिखाई देने चाहिए, बैठक में कलेक्टर का सबसे चर्चित वाक्य रहा-'काम कर देंगे,हो जाएगा,प्रयास कर रहे हैं' नहीं सुनना है,बल्कि 'काम हो रहा है और काम हो गया है' सुनना है, प्रशासनिक हलकों में इसे केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि कार्यशैली बदलने का संकेत माना जा रहा है।

प्रथम आने की दौड़ नहीं,ग्रीन जोन में रहना है...

बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने अधिकारियों को एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाई,उन्होंने कहा कि जिले को हर हाल में प्रथम स्थान पर पहुंचाने की मानसिकता से ज्यादा जरूरी है कि शासन की योजनाएं समय पर पूरी हों और जनता तक उनका लाभ पहुंचे,उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल रैकिंग की दौड़ में शामिल होना नहीं होना चाहिए,यदि

योजनाएं समय पर पूरी होंगी,शिकायतें कम होंगी और लाभाधिकारियों तक सुविधाएं पहुंचेंगी तो जिले की स्थिति स्वतः बेहतर होगी, कलेक्टर का यह दृष्टिकोण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई बार आंकड़ों में बेहतर दिखने की होड़ में वास्तविक काम पीछे छूट जाता है, लेकिन इस बैठक में फोकस केवल एक बात पर था- समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य।

काम के लिए खुन मत जलाइए, लेकिन काम समय पर होना चाहिए...

सूत्रों के अनुसार बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी समझाया कि काम करने का महत्व अनावश्यक तनाव लेना नहीं है, उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार समय का प्रबंधन कर सकते हैं,लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि शासन की योजनाएं निर्धारित समय पर पूरी हों, यह संदेश उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो अक्सर संसाधनों और दबावों का हवाला देकर कामों में देरी को सामान्य मान लेते हैं,कलेक्टर का स्पष्ट संकेत था कि बहाने नहीं,परिणाम देखे जाएंगे।

लापरवाही पर सख्त चेतावनी

बैठक के दौरान कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि शिकायतों को हलकें में नहीं लिया जाएगा,उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यह न समझे कि लापरवाही के बाद भी वह बच जाएगा,शासन ने जिस जिम्मेदारी के लिए किसी को पद पर नियुक्त किया है, उसका निर्वहन पूरी गंभीरता से करना होगा,सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने कहा कि यदि शिकायतें आपंगी तो कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई उनके अपने तरीके से होगी,यह टिप्पणी बैठक में मौजूद अधिकारियों के लिए स्पष्ट चेतावनी मानी जा रही है।

बहानेवाजी छोड़िए...जिम्मेदारी निभाइए...

बैठक में कलेक्टर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही,उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि काम न होने के कारण खोजने की बजाय काम पूरा करने के उपाय खोजे जाएं,अक्सर समीक्षा बैठकों में यह सुनने को मिलता है कि संसाधन नहीं मिले, कर्मचारी कम हैं,तकनीकी समस्या है या प्रक्रिया लंबित है,लेकिन इस बैठक में कलेक्टर का जोर इस बात पर था कि समस्या चाहे जो भी हो,उसका समाधान निकालना प्रशासन की जिम्मेदारी है,कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गोलमोल जवाब और अधूरी जानकारी से वास्तविक स्थिति नहीं बदली जा सकती,उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समस्याओं के कारण गिाने की बजाय उनके समाधान पर काम किया जाए,शासन और प्रशासन जनता की समस्याओं दूर करने के लिए हैं,उन्हें बढ़ाने के लिए नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में धीमी प्रगति पर नाराजगी

प्रधानमंत्री जनमन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत 75 आवासों में से 53 पूर्ण हुए हैं जबकि 21 अब भी अधूरे हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-26 के तहत स्वीकृत 16,363 आवासों में से 10,243 आवास पूर्ण हुए हैं,जब शेष आवासों की स्थिति पूछी गई तो कई अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके,इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों ने राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, उनके खिलाफ वसूली और नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

फील्ड में जाएं,फाइलों से बाहर निकलें...

कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्यालयों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति छोड़ने की सलाह दी, उन्होंने कहा कि शासन वेतन केवल बैठकों में बैठने और फाइलें आगे बढ़ाने के लिए नहीं देता, अधिकारी गांवों में जाएं, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें, योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, उन्होंने स्पष्ट किया कि कागजों में प्रगति और जमीन पर दिखाई देने वाली प्रगति में अंतर होता है।

मंथन सभा कक्ष

जिला पंचायत कोरिया

शौचालय निर्माण की सुस्ती पर फटकार

व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय निर्माण की समीक्षा के दौरान प्रगति बेहद धीमी पाई गई,सामुदायिक शौचालयों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही,कलेक्टर ने सवाल उठाया कि 15 से 20 दिनों में पूरे होने वाले कार्य महीनों तक लंबित क्यों हैं,उन्होंने चेतावनी दी कि समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

एक महीने बाद फिर होगी समीक्षा

बैठक के अंत में कलेक्टर रोवितामा यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली समीक्षा बैठक में केवल प्रस्तुतिकरण नहीं बल्कि वास्तविक प्रगति दिखाई देनी चाहिए,उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठकों में आएँ और अपने विभाग की वास्तविक स्थिति से अवगत रहें।

वया बदल जाएगी कोरिया की प्रशासनिक कार्यसंस्कृति?

पांच घंटे तक चली इस बैठक से जो संदेश निकलकर सामने आया,वह केवल आंकड़ों की समीक्षा नहीं बल्कि प्रशासनिक सोच में बदलाव का संकेत है,कलेक्टर का जोर बार-बार एक ही बात पर रहा- प्रतिस्पर्धा नहीं, काम। बहाने नहीं,परिणाम। आश्वासन नहीं,उपलब्धि,यदि अधिकारी और कर्मचारी इस संदेश को गंभीरता से लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं,तो आने वाले समय में कोरिया जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, फिलहाल बैठक के बाद जिले में सबसे ज्यादा चर्चा कलेक्टर की इसी बात की हो रही है-हमें प्रथम नहीं बनना है,लेकिन अंतिम भी नहीं रहना है। हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाएं समय पर जनता तक पहुंचें और काम समय पर पूरा हो, यही सोच यदि धरातल पर उतर गई तो संभव है कि कोरिया जिले की प्रशासनिक तस्वीर भी बदलती नजर आए।

डिस्कलेमर

इस समाचार में प्रकाशित तथ्य जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञापन,समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा बैठक से जुड़े विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं,बैठक के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जुड़ी बातें आधिकारिक विज्ञापन का हिस्सा नहीं थीं,लेकिन वे सूत्रों के माध्यम से सामने आईं,चूंकि उन चर्चाओं का संबंध जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली,जवाबदेही और जनहित से जुड़ा हुआ था,इसलिए उन्हें समाचार के विश्लेषणात्मक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है,समाचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति या विभाग की छवि प्रभावित करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक सोच, कार्यसंस्कृति और सार्वजनिक महत्व के विषयों को पाठकों तक पहुंचाना है।

आदेश का तेल निकल गया या ड्रमों में चला गया?

प्रशासन बोला...पेट्रोल-डीजल सिर्फ वाहनों में,तस्वीर बोली...साहब! फिर ये ड्रम किस खुशी में खड़े हैं? फरमानिया पेट्रोल पंप की तस्वीरों ने खड़े किए सवाल,सीसीटीवी कैमरे बता सकते हैं कि आदेश जमीन पर उतरा था या सिर्फ प्रेस नोट में छपा था...

-रवि सिंह-

मनदंगढ़, 04 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरकारी आदेशों का भी अपना अलग जीवन चक्र होता है, कुछ आदेश फाइल से निकलते हैं, प्रेस नोट तक पहुंचते हैं, अखबारों में छपते हैं और फिर आराम से किसी अलमारी में विश्राम करने चले जाते हैं, कुछ आदेश ऐसे भी होते हैं जो जनता को तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिनके पालन की जिम्मेदारी होती है, वे शायद उन्हें केवल पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। इन दिनों मनदंगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पेट्रोल और डीजल विक्री को लेकर जारी एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है, पश्चिम एशिया संकट की पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ शासन ने पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी रोकने तथा आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त निर्देश जारी किए थे, आदेश इतना स्पष्ट था कि उसमें व्याख्या की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई, पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों की टंकी में दिया जाएगा, डिब्बे, बोटल, जेरीकेन, ड्रम अथवा अन्य किसी पात्र में नहीं, साथ ही चेतावनी भी थी कि नियम तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी, आदेश पढ़कर लगा कि अब तो पेट्रोल पंपों में ऐसा अनुशासन होगा कि यदि कोई खाली बोटल लेकर भी पहुंच जाए तो उसे दूर से ही वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ तस्वीरें सामने आईं, और तस्वीरों ने वह सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब अब पूरा जिला जानना चाहता है।



तस्वीर में ड्रम हैं, सवाल में दम है...

चैनपुर मार्ग स्थित फरमानिया पेट्रोल पंप की तस्वीरों में कुछ बड़े ड्रम दिखाई दिए, अब ड्रम कोई अपराध नहीं है, ड्रम रखना प्रतिबंधित भी नहीं है, लेकिन जब शासन ने स्पष्ट रूप से कहा हो कि किसी पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा और उसी दौरान पेट्रोल पंप परिसर में ड्रम दिखाई दें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, लोग पूछ रहे हैं क्या ये ड्रम पर्यटन के लिए रखे गए थे? क्या इनमें बारिश का पानी भरना था? क्या इन्हें सजावट के लिए रखा गया था? या फिर इनका कोई ऐसा उपयोग था जिसे जनता नहीं जानती? यही वह जगह है जहां तस्वीरें सवाल पृच्छती हैं और प्रशासन से जवाब की अपेक्षा करती हैं।

आदेश की भाषा और जमीन की तस्वीर...

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आदेश साफ कहता है कि ईंधन केवल वाहनों की टंकी में दिया जाएगा, इस आदेश का उद्देश्य भी स्पष्ट था, प्रशासन नहीं चाहता था कि बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल कहीं संग्रहित किया जाए, क्योंकि संकट के समय सबसे बड़ी समस्या कृत्रिम कमी और जमाखोरी बन जाती है, यानी सरकार कह रही थी गाड़ी लाओ, तेल ले जाओ, लेकिन यदि कहीं ड्रम दिखाई दे जाए तो फिर सवाल यह उठता है कि आदेश की भावना और जमीनी स्थिति के बीच दूरी कितनी है?

कहीं ऐसा तो नहीं कि नियम सिर्फ जनता के लिए हैं?

यह सवाल नया नहीं है, हमारे यहां अक्सर नियमों के दो संस्करण देखने को मिल जाते हैं, एक जनता के लिए, दूसरा व्यवस्था के लिए, आम आदमी अगर एक लीटर पेट्रोल बोटल में मांग ले तो उसे नियम समझा दिया जाता है, लेकिन यदि कहीं बड़ी मात्रा में पात्र दिखाई दें तो फिर लोग पूछते हैं कि क्या वहां कोई विशेष नियम लागू था? यही वजह है कि इस मामले ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है।

सीसीटीवी कैमरे सबसे बड़े गवाह

इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प पात्र कोई अधिकारी नहीं है, न कोई कर्मचारी, न कोई शिकायतकर्ता, सबसे बड़ा गवाह है-सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि कैमरा न पक्षधर होता है और न विरोधी, उसे न चुनाव लड़ना है, न तबादला कराना है, जो हुआ है, वही रिकॉर्ड किया होगा, यदि जांच एजेंसियां वास्तव में सच्चाई जानना चाहती हैं तो उन्हें फाइलों से ज्यादा कैमरों की तरफ देखना चाहिए, कैमरे बता देंगे-ड्रम कब आए? कौन लाया? क्या उनमें ईंधन भरा गया? यदि भरा गया तो किसके कहने पर? और बाद में वे कहां गए?

जांच फाइल से नहीं, फुटेज से शुरू होनी चाहिए...

अक्सर जांच की शुरुआत कागजों से होती है, फिर फाइलें खुलती हैं, नोटशीट बनती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, फिर जवाब आता है, फिर जवाब का जवाब आता है, और कई बार मामला इतना लंबा हो जाता है कि मूल प्रश्न ही धक जाता है, लेकिन इस मामले में तकनीक मौजूद है, यदि सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित हैं तो जांच कुछ घंटों में कई दिनों का सच बता सकती है।

और यदि नियम टूटें हैं तो कार्रवाई भी दिखनी चाहिए...

यदि जांच में यह सामने आता है कि आदेशों की अनदेखी हुई है, तो फिर कार्रवाई भी उतनी ही स्पष्ट दिखनी चाहिए जितना स्पष्ट आदेश था, क्योंकि शासन की विश्वसनीयता केवल आदेश जारी करने से नहीं बनती, विश्वसनीयता तब बनती है जब आदेशों का पालन भी सुनिश्चित हो।

निरीक्षण के आदेश भी थे, फिर निरीक्षण कहां था?

सरकार ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, संयुक्त जांच टीमों की बात भी कही गई थी, अब यदि तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल निगरानी व्यवस्था पर उठता है, क्या निरीक्षण हुए? यदि हुए तो क्या देखा गया? यदि देखा गया तो क्या दर्ज किया गया? और यदि कुछ नहीं मिला तो फिर तस्वीरें क्या कह रही हैं?

सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है...

सरकार ने कहा ईंधन केवल वाहनों की टंकी में दिया जाएगा, तस्वीरों में दिखाई दिए ड्रम, अब इन दोनों के बीच जो खाली जगह है, उसी का नाम है-सवाल। और उस सवाल का जवाब किसी प्रेस विज्ञापन में नहीं, किसी बयान में नहीं, बल्कि संभवतः पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों में कैद है, अब देखना यह है कि जांच कहां तक पहुंचती है या नहीं, क्योंकि जनता के मन में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा है जब आदेश इतना साफ था, तो फिर ड्रमों तक पेट्रोल-डीजल पहुंचा कैसे?

जनता की जिज्ञासा बनाम प्रशासन की चुप्पी

जनता की समस्या यह है कि वह तस्वीर देखती है, प्रशासन की ताकत यह है कि उसके पास रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए जनता सवाल पूछती है और प्रशासन जवाब देता है, लेकिन जब सवाल बढ़ जाएं और जवाब न आए तो चुप्पी शुरू हो जाती है, और जहां चुप्पी शुरू होती है, वहां अफवाहें भी बन लेती हैं, इसलिए किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा विकल्प पारदर्शिता होता है।

यदि सब सच था तो बताइए...

यह भी संभव है कि ड्रमों के पीछे पूरी तरह वैध कारण हो, यह भी संभव है कि किसी विशेष अनुमति के तहत कार्य किया गया हो, यह भी संभव है कि तस्वीरों को देखकर जो संदेह पैदा हो रहा है, वह वास्तविकता न हो, लेकिन यदि ऐसा है तो सबसे आसान रास्ता है-तथ्य सार्वजनिक कर दीजिए, अनुमति दिखा दीजिए, रिकॉर्ड दिखा दीजिए, सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे।

स्वच्छता अभियान को ठेंगा : सोनहत तहसील और एसडीएम कार्यालय का शौचालय बना बदबूघर

जहां जनता न्याय मांगने आती है, वहां नाक पर रुमाल रखकर गुजरना पड़ रहा

स्वच्छ भारत के पोस्टर चमक रहे, लेकिन शौचालय की हालत देख शर्म से झुक जाएँ दावे

-राजन पाण्डेय-

सोनहत (कोरिया), 04 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरकारी दफ्तरों में अक्सर दीवारों पर बड़े-बड़े नारे लिखे दिखाई देते हैं स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ परिसर, बेहतर व्यवस्था, लेकिन कोरिया जिले के सोनहत तहसील एवं एसडीएम कार्यालय परिसर में पहुंचते ही यह एहसास हो जाता है कि कुछ नारे केवल दीवारों के लिए होते हैं, जमीन के लिए नहीं। सोनहत तहसील और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय परिसर में स्थित सार्वजनिक प्रसाधन की स्थिति इन दिनों इतनी बदहाल हो चुकी है कि उसे शौचालय कम और बदबू का स्थायी गोदाम ज्यादा कहा जा रहा है, हालत यह है कि लोग उसके भीतर जाना तो दूर, उसके आसपास से गुजरने में भी कतराने लगें हैं।



दफ्तर में आवेदन देने आएँ या गैस मास्क लेकर? योजना सैकड़ों ग्रामीण, महिलाएं, बुजुर्ग और फरियादी विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए तहसील और एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहुंचने वालों का सबसे पहला सामना व्यवस्था से नहीं, बल्कि बदबू से होता है, ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय के आसपास इतनी तीव्र दुर्गंध फैली रहती है कि कुछ देर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है, कई लोगों को नाक पर रुमाल रखकर निकलना पड़ता है, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए स्थिति और भी अधिक परेशान करने वाली है, विडंबना यह है कि जहां से पूरे क्षेत्र के प्रशासनिक आदेश निकलते हैं, वहां परिसर में बुनियादी स्वच्छता व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है।

स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत
सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर स्वच्छता अभियान चला रही है, पंचायतों से लेकर शहरों तक स्वच्छता रैकिंग, अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यदि प्रशासनिक कार्यालयों की ही यह स्थिति हो तो फिर गांवों और कस्बों को क्या संदेश जाएगा? लोग तंत्र कसते हुए कहते हैं कि स्वच्छता अभियान की समीक्षा शायद फाइलों में हो जाती है, इसलिए शौचालयों तक पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं होती।

पूर्व अधिकारियों के दावों पर भी उठे सवाल
हालांकि वर्तमान एसडीएम ने हाल ही में पदभार संभाला है और लोगों को उनसे व्यवस्था सुधार की उम्मीद है, लेकिन इस बदहाली ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए

सबसे बड़ा सवाल सवाल केवल एक शौचालय का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो स्वच्छता को भाषणों और बैठकों तक सीमित रखती है, सवाल उस व्यवस्था का है जो जनता से स्वच्छता की अपेक्षा करती है, लेकिन अपने कार्यालयों की स्थिति देखने का समय नहीं निकाल पाती, अब निगाहें नए एसडीएम और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बदहाल प्रसाधन की स्थिति जल्द सुधारी जाएगी, अन्यथा आने वाले दिनों में लोग यह कहने से भी नहीं चूकेंगे कि सोनहत में स्वच्छता अभियान दीवारों पर चमक रहा है और शौचालयों में दम तोड़ रहा है।

तालाब से लौट रही महिला पर किये गये जानलेवा हमले में हुई थी मौत, आरोपी को आजीवन कारावास

विशेष न्यायालय बैकुण्ठपुर का अहम फैसला, हत्या और टोनही प्रताड़ना मामले में उमेश कुमार केवट दोषी करार विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक ने सुनाया निर्णय, विशेष लोक अभियोजक महेश कुमार शर्मा की प्रभावी पैरवी

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर/कोरिया, 04 जून 2026
(घटती-घटना)।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विशेष न्यायालय बैकुण्ठपुर ने वर्ष 2022 के एक जघन्य हत्या प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी उमेश कुमार केवट को दोषी करार दिया है, विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक ने विशेष अपराधिक

प्रकरण क्रमांक 36/2022, छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध उमेश कुमार केवट में 30 मई 2026 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को हत्या और टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत कठोर दंड से दंडित किया, यह मामला क्षेत्र में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा था, करीब चार वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।

टोनही प्रताड़ना से जुड़ी हत्या के मामले में आरोपी उमेश कुमार केवट को आजीवन कारावास

विशेष न्यायालय बैकुण्ठपुर का बड़ा फैसला

मामले का विवरण
15/09/2022 को शाम करीब 5:30 बजे मुक्ति कलेसिया उर्फ कौशल्या पण्डे तालाब से नहाकर वापस आ रही थी, तभी आरोपी उमेश कुमार केवट ने पीछे से धारदार हथियार जकरन्टी से तालबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। थाना चौड़ी में अपराध क्रमांक 144/2022 दर्ज किया गया।

सजा
धारा 302 IPC आजीवन कारावास + 100 रुपये अर्थदंड
ध.ग. टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम धारा 4 : 01 वर्ष कारावास + 100 रुपये अर्थदंड
धारा 5 : 02 वर्ष कारावास + 100 रुपये अर्थदंड

समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार को रूढ़ि में रखते हुए अधिवृक्क का कृत्व क्षय्य रही है।

तालाब से लौट रही महिला पर किया गया जानलेवा हमला

अभियोजन के अनुसार घटना 15 सितंबर 2022 की शाम लगभग 5:30 बजे की है, मुक्ति कलेसिया उर्फ कौशल्या पण्डे तालाब से स्नान कर बाल्टी और कपड़े लेकर घर वापस लौट रही थी, जब वह राधेश्याम नामक व्यक्ति की मक्का बाड़ी के पास पहुंची, तभी आरोपी उमेश कुमार केवट वहां पहुंचा, अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने पीछे से मृतिका पर धारदार हथियार जकरन्टी से तालबड़तोड़ हमला कर दिया, गंभीर हमले के कारण महिला बाड़ी में गिर पड़ी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई, घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

हत्या, टोनही प्रताड़ना और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

मामले की जांच के बाद थाना चौड़ी पुलिस ने अपराध क्रमांक 144/2022 दर्ज किया, पुलिस ने आरोपी को विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 एवं 5 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक महेश कुमार शर्मा ने पैरवी की, उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए आरोपी का कृत्व किसी भी स्थिति में क्षय्य नहीं माना जा सकता, उन्होंने न्यायालय को बताया कि संवैधानिक और कानूनी संरक्षण के बावजूद अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग आज भी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहा है, अनेक मामलों में उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, अपमानित किया जाता है तथा उनके विरुद्ध गंभीर अपराध किए जाते हैं, विशेष लोक अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के कारण इन वर्गों के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं, लेकिन कई बार समाज के कुछ वर्ग इसे स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे अपराध केवल व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं बल्कि उसकी गरिमा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों पर भी प्रहार होते हैं।

न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक ने आरोपी उमेश कुमार केवट को दोषी करार दिया, न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष के कारावास तथा 100-100 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।

फैसला बना महत्वपूर्ण मिसाल

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला समाज में व्याप्त अंधविश्वास और टोनही जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध एक मजबूत संदेश है, न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास, सामाजिक पूर्वाग्रह या जातिगत भेदभाव के आधार पर प्रताड़ित करना अथवा उसके विरुद्ध हिंसक अपराध करना कानून की नजर में गंभीर अपराध है, यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला माना जा रहा है बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि कमजोर और वंचित वर्गों के सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून पूरी मजबूती के साथ खड़ा है।

कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में बहाल पशु चिकित्सालय, चपरासी के भरोसे चल रही व्यवस्था!

-राजेश शर्मा-

खड़गवां, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और पशुधन संरक्षण के बड़े-बड़े दावे करती है, करोड़ों रुपये की योजनाएं चलाई जा रही हैं, पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, स्थिति इतनी चिंताजनक है कि कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में स्थित पशु चिकित्सालय की हालत स्वयं सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। खड़गवां मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सा केंद्र इन दिनों अव्यवस्था, लापरवाही और अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है, अस्पताल का निर्धारित समय सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 6 बजे तक है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह 9:30 बजे तक भी अस्पताल में कोई जिम्मेदार अधिकारी या चिकित्सक मौजूद नहीं था, पूरा केंद्र चपरासी के भरोसे संचालित होता दिखाई दिया।

खड़गवां पशु चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर नदारद, इलाज के लिए घंटों भटक रहे किसान

सरकार के दावों पर सवाल, पशुपालकों ने उठाई कार्रवाई की मांग



डॉक्टर गायब, चपरासी संभाल रहा अस्पताल

ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में अक्सर यही स्थिति बनी रहती है, पशुपालक अपने बीमार मवेशियों को लेकर सुबह-सुबह अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर की जगह चपरासी मिलता है, किसान इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें केवल इंतजार ही नसीब होता है, लोगों का कहना है कि यदि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं रहेंगे तो पशुओं का उपचार कौन करेगा? क्या अब पशु चिकित्सा केंद्रों को भी भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है?

मवेशियों की बीमारी बढ़ रही, किसान परेशान

खड़गवां क्षेत्र के ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा हिस्सा पशुपालन पर निर्भर है, गाय, बैल, भैंस और बकरियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं, लेकिन जब पशु बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए किसानों को सरकारी अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है, ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर घंटों इंतजार के बावजूद डॉक्टर नहीं मिलते, कई बार मजबूरी में उन्हें निजी चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ती है या बिना इलाज कराए वापस लौटना पड़ता है, इसका सीधा असर पशुओं की सेहत पर पड़ता है और कई मामलों में बीमारी गंभीर रूप ले लेती है।

कागजों में सेवा, जमीन पर सन्नाटा

सरकारी रिकॉर्ड में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लंबी-लंबी उपलब्धियां दर्ज हैं, टीकाकरण अभियान, पशु उपचार शिविर, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और पशुधन विकास योजनाओं की सफलता के आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन खड़गवां पशु चिकित्सालय की स्थिति देखकर लगता है कि कागजों में दौड़ती व्यवस्था जमीन पर पहुंचते-पहुंचते थक जाती है, अस्पताल के बाहर बैठे किसान सवाल पूछ रहे हैं कि यदि अस्पताल खुला है तो डॉक्टर कहाँ हैं? यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी उपस्थिति दर्ज कैसे हो रही है? और यदि यह स्थिति रोज की है तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?

कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में ही यह हाल...

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में स्थित पशु चिकित्सालय की ऐसी स्थिति है तो दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में पशु चिकित्सा सेवाओं की क्या हालत होगी? स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मंत्री के क्षेत्र में ही अस्पताल समय पर संचालित नहीं हो रहा है तो उन क्षेत्रों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है जहां अधिकारियों की निगरानी और भी कम है, यही कारण है कि अब लोग केवल डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि पूरे विभागीय तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

जवाब का इंतजार...

फिलहाल खड़गवां पशु चिकित्सालय की यह स्थिति कई सवाल छोड़ रही है। क्या विभाग इस मामले को गंभीरता से लेगा? क्या डॉक्टरों की अनुपस्थिति की जांच होगी? क्या पशुपालकों को समय पर उपचार सुविधा मिल पाएगी? इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा, क्योंकि पशुओं का इलाज इंतजार नहीं करता और किसानों की परेशानी केवल फाइलों में दर्ज आंकड़ों से दूर नहीं होती।

किसानों ने उठाई कार्रवाई की मांग...

ग्रामीणों और पशुपालकों ने प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, साथ ही अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच कर लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लोगों का कहना है कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, ऐसे में पशु चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही सीधे किसानों की आजीविका पर चोट करती है। यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो ग्रामीणों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।



नगर पालिका परिषद जशपुर उपचुनाव के परिणाम घोषित

दोनों वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजयी

वार्ड नंबर 8 में प्रेमलता साहू और वार्ड नंबर 14 में प्रिया सिंग ने जीता उपचुनाव

-संवाददाता-

जशपुरनगर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिका परिषद जशपुर के वार्ड क्रमांक 08 एवं 14 में पार्षद पद हेतु संपन्न उपचुनाव के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। दोनों वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वार्ड क्रमांक 08 में प्रेमलता साहू (भारतीय जनता पार्टी) ने उर्मिला भगत (इंडियन नेशनल कांग्रेस) को 164 मतों के अंतर से पराजित किया। प्रेमलता साहू को कुल 381 मत प्राप्त हुए, जबकि उर्मिला भगत को 217 मत मिले। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 14 में प्रिया सिंग (भारतीय जनता पार्टी) ने प्यारी कुजूर (इंडियन नेशनल कांग्रेस) को 90 मतों से हराकर विजय हासिल की। प्रिया सिंग को कुल 186 मत प्राप्त हुए, जबकि प्यारी कुजूर के पक्ष में 96 मत पड़े। उपचुनाव की समस्त निर्वाचन प्रक्रिया प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में रिटर्निंग अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) एवं एसडीएम जशपुर श्री विश्वास राव मरके, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री समीर बड़ा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री योगेश्वर उपाध्याय तथा सहायक अधीक्षक श्री राजेंद्र प्रसाद चौहान सहित निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उपचुनाव के लिए कुल तीन मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। वार्ड क्रमांक 08 के लिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंद्रिय मध्यम नवीन आदर्श विद्यालय जशपुर में मतदान केंद्र क्रमांक 08 एवं 09 तथा वार्ड क्रमांक 14 के लिए शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय जशपुरनगर में मतदान केंद्र क्रमांक 18 बनाया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी तथा एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।

बीईओ सूरजपुर के लिए क्या आरटीआई कानून सिर्फ सलाह है?

222 दिन बाद भी नहीं मिली सूचना, डीईओ का आदेश भी पड़ा बेअसर, सूचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम अनदेखी या फिर किसी राज पर पड़ा है पर्दा?

24 अक्टूबर 2025 को मांगी गई थी जानकारी

जानकारी के अनुसार आवेदक यादवेन्द्र दुबे ने 24 अक्टूबर 2025 को कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में पांच अलग-अलग आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किए थे, सूचना का अधिकार अधिनियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि मांगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाए, लेकिन समय बीतता गया और सूचना नहीं मिली, जब निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं मिली तो आवेदक ने प्रथम अपील का सहारा लिया।

डीईओ ने दिया आदेश, फिर भी नहीं मिली सूचना

मामले की सुनवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने 30 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया, आदेश में संबंधित जनसूचना अधिकारी हरेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया कि 10 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाए, यानि 9 फरवरी 2026 तक जानकारी आवेदक को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आदेश जारी होने के महीनों बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, अब स्थिति यह है कि मूल आवेदन को 222 दिन और अपीलीय आदेश को 124 दिन से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी सूचना का इंतजार जारी है।

क्या बीईओ कार्यालय में डीईओ के आदेश की कोई कीमत नहीं?

प्रकरण ने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, जब जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं आदेश जारी कर चुके हैं तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हुआ? क्या बीईओ कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों की कोई अहमियत नहीं रह गई है? या फिर ऐसा कोई अदृश्य सुरक्षा कवच है जिसके कारण आदेश फाइलों में ही दम तोड़ देते हैं? शिक्षा विभाग के गलियारों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लोग पूछ रहे हैं कि यदि एक वैधानिक आदेश का पालन नहीं हो सकता तो फिर विभागीय अनुशासन का क्या अर्थ रह जाता है?

अनुस्मारक भी हुआ बेअसर

बताया जाता है कि 5 मई 2026 को आवेदक द्वारा अनुस्मारक भी प्रस्तुत किया गया, सामान्यतः अनुस्मारक मिलने के बाद विभाग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन यहां तो मानो चुपची ही प्रशासनिक नीति बन गई, न सूचना, न जवाब, न कोई स्पष्टीकरण, और न ही किसी कार्रवाई की जानकारी।

आखिर कौन-सी सूचना है जिसे देने में इतनी परेशानी?

मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी कौन-सी जानकारी है जिसे देने में 222 दिन लग गए? क्या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं? क्या दस्तावेज गायब हैं? क्या फाइलें नहीं मिल रही हैं? या फिर सूचना देने से कोई ऐसी प्रशासनिक खामी उजागर हो सकती है जिसे विभाग सार्वजनिक नहीं करना चाहता? हालांकि इन सवालों के जवाब विभाग की ओर से अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन जितनी लंबी देरी होती जा रही है, उतने ही नए सवाल पैदा होते जा रहे हैं।

आरटीआई कानून की आत्मा पर चोट

सूचना का अधिकार अधिनियम केवल एक कानून नहीं है, यह नागरिकों और शासन के बीच पारदर्शिता का पुल है, यह जनता को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी कार्यालयों से सवाल पूछ सके और जवाब प्राप्त कर सके, लेकिन जब सूचना देने में महीनों नहीं बल्कि सैकड़ों दिन लग जाते हैं, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आरटीआई कानून की आत्मा को ही नजरअंदाज किया जा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना का अनावश्यक रूप से लंबित रखना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि जवाबदेही की भावना के विपरीत भी है।



-ऑकार पाण्डेय-

सूरजपुर, 04 जून 2026 (घटती-घटना)।

देश में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) इसलिए बनाया गया था ताकि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आए, जनता को जानकारी मिले और जवाबदेही तय हो सके। लेकिन सूरजपुर शिक्षा विभाग में जो तस्वीर सामने आ रही है, वह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर आरटीआई कानून की असली हैसियत क्या है? क्या यह सिर्फ आम नागरिकों के लिए एक कागजी अधिकार बनकर रह गया है?

सूरजपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, आरोप है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी को 222 दिन बीत जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया, हेरानी की बात यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के स्पष्ट आदेश के बाद भी सूचना नहीं दी गई, अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह सिर्फ लापरवाही है या फिर विभागीय संरक्षण का ऐसा कवच, जिसके सामने वैधानिक आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं?

कार्रवाई होगी या फाइल फिर सो जाएगी?

आवेदक यादवेन्द्र दुबे ने संबंधित जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई की मांग की है, साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मामला छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग तक ले जाया जाएगा, अब निगाहें जिला शिक्षा अधिकारी और उच्च अधिकारियों पर टिकी हुई हैं, लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी? क्या जवाबदेही तय होगी? या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों के विशाल कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा?

सबसे बड़ा सवाल...

शिक्षा विभाग बच्चों को संविधान, अधिकार और कानून का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन यदि उसी विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर आम नागरिक किससे उम्मीद करें? फिलहाल सूरजपुर में एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है क्या बीईओ सूरजपुर कानून से ऊपर हैं, या फिर सूचना देने से ज्यादा जरूरी सूचना रोककर रखना हो गया है?



मुख्यमंत्री साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त 68.54 लाख महिलाओं के खातों में अंतरित हुए 642.27 करोड़ रुपये...

बिलासपुर, 04 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त



मुख्यमंत्री साय ने महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए 68.54 लाख महिलाओं के खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की।

और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक



भाग्यवती भी बढ़ी है। जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं के जीवन में

आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप सुकमा, बीजापुर, देतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर में संचालित निवृत्त नेल्लानार अभियान के माध्यम से 7 हजार 770 नई महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ दिया गया है। इससे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना आज केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह

महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की हर महिला सशक्त, स्वावलंबी और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई धारा प्रवाहित हुई है और लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली तथा आर्थिक स्थिरता का नया अध्याय जुड़ा है।

भारतमाला मुआवजा घोटाला... ईडी ने जमीन कारोबारी गांधी को किया गिरफ्तार

56 लाख की जमीन पर लिया 9.83 करोड़ का मुआवजा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

रायपुर, 04 जून 2026। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभनपुर के जमीन कारोबारी जय प्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोपी को घन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत 3 जून को गिरफ्तार किया। मामले में करोड़ों रुपये के मुआवजा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है। ईडी की जांच छत्तीसगढ़ एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। यह मामला भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़ा है।

अफसरों के साथ मिलकर रची साजिश : जांच एजेंसी के अनुसार जय प्रकाश गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों और कुछ अफसरों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। आरोप है कि हाईवे एलाइमेंट में



भारतमाला मुआवजा घोटाला

शेयर बाजार-म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए पैसे

जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले से प्राप्त रकम को छिपाने के लिए उसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया गया। इसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को ईडी ने रायपुर, अभनपुर और धमतरी जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सबूत जप्त किए गए थे। गिरफ्तार आरोपी को विशेष पीएमएलए न्यायालय रायपुर में पेश किया गया, जहाँ से ईडी को तीन दिन की रिमांड मिली है। एजेंसी अब इस मामले में अन्य लाभाधिकारियों, विचौलियों और संबन्धित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

दुर्ग में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट अफ्रीका देशों से लौटे 3 यात्री 21 दिनों के लिए 'होम आइसोलेशन' पर... किसी में कोई लक्षण नहीं

दुर्ग-भिलाई, 04 जून 2026। अफ्रीका के कुछ देशों में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती निगरानी बढ़ा दी है। विदेश से लौटे 3 यात्रियों को 21 दिनों के लिए होम आइसोलेशन पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि तीनों यात्रियों में अभी तक इबोला संक्रमण के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। उनकी हालत पूरी तरह सामान्य बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले में वर्तमान में कुल तीन अंतरराष्ट्रीय यात्री आए हैं। इनमें एक महिला 31 मई को कांगो से दुर्ग पहुंची, जबकि दो यात्री 2 जून को भिलाई पहुंचे। इनमें एक यात्री इथोपिया और दूसरा युगांडा से लौटा है।



किसी में संक्रमण जैसे लक्षण नहीं पाए गए : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि, तीनों यात्रियों को ड्रैगल हिस्ट्री और स्वास्थ्य स्थिति की जांच की गई। किसी में संक्रमण जैसे लक्षण नहीं पाए गए और न ही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का इतिहास मिला। इसी आधार पर इन्हें कम जोखिम श्रेणी यानी कैटेगरी-1 में रखा गया है। फिलहाल, सभी यात्रियों को 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम रोज सुबह और शाम फोन के जरिए उनकी स्वास्थ्य निगरानी कर रही है। यात्रियों को निर्देश दिया गया है कि यदि उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी महसूस हो तो तुरंत ट्रेनिंग टीम, कंट्रोल रूम या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को सूचना दें। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इबोला एक गंभीर वायरल संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क या उसके शरीर से निकलने वाले फ्लूइड के जरिए फैल सकता है। इसके सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, दर्द, जोड़ों में दर्द, अधिक थकान, सिरदर्द और गंभीर वाटरी डायरिया शामिल हैं। इबोला संक्रमण की पुष्टि मुख्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच के जरिए की जाती है।

9 जून को होगी साय कैबिनेट की बैठक... कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर

रायपुर, 04 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मंगलवार, 9 जून को सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले 26 मई को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इनमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधीन लाने तथा डामर (बिटुमिन) की कीमतों में वृद्धि के कारण अनुबंधित ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने जैसे अहम फैसले शामिल थे।



अवैध खनन पर प्रशासन का एक्शन, 7 हाईवा जब्त

रायपुर, 04 जून 2026। रायपुर में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने पटेवा-नवापारा क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध परिवहन में लगे 7 हाईवा वाहनों को जब्त किया। उप-संचालक खनिज राजेश मालवे के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 5 हाईवा रेत और 1 हाईवा गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए गए। विभागीय टीम ने सभी वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया। जब्त वाहनों को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना गोवरा-नवापारा में रखा गया है।

कुल 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई

जांच अभियान के दौरान एक हाईवा मुह्रम का अवैध परिवहन करते भी पकड़ा गया। इस वाहन को जब्त कर उपवारा थाने में रखा गया है। इस तरह खनिज विभाग ने कुल 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज परिवहन पर सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि, जिले में खनिज विभाग को नियमित और निरीक्षण और सघन गश्त जारी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जा सके।

200 एकड़ जमीन हड़पने की साजिश का पर्दाफाश... फर्जी मुख्तियारनामा और हस्ताक्षर कर करोड़ों की जमीन पर कब्जे की कोशिश, 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 04 जून 2026। रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में करीब 200 एकड़ बेशकीमती जमीन हड़पने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की जमीन अपने नाम कराने की साजिश रची गई। गिरफ्तार आरोपियों का नाम रायपुर संजय नगर निवासी वसीम हुसैन, मोहम्मद खलील, अब्दुल नईम और मिर्जा परवेज बताया जा रहा है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभनपुर पुलिस के अनुसार ग्राम थनौद, तहसील गोवरा नवापारा स्थित खसरा नंबर 1243/1, 1242/1, 1244/1, 1159/1, 1163/1, 1162/1 और 1162/2 की लगभग 200 एकड़ भूमि



राजस्व रिकॉर्ड में केशव अवस्थी के नाम दर्ज है। जांच में सामने आया कि साल 2023 में आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से इस जमीन को हथियाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मिर्जा परवेज ने अपने साथियों अब्दुल

दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के बयान दर्ज किए और मुख्तियारनामा तैयार करने में उपयोग किए गए आधार कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जप्त किए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।

आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा जैला

गिरफ्तार आरोपियों में वसीम हुसैन, मोहम्मद खलील, अब्दुल नईम और मिर्जा परवेज शामिल हैं। सभी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

राज्यसभा सांसद संजय सिंह 7 जून को आएंगे रायपुर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल

रायपुर, 04 जून 2026। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 7 जून को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर आएंगे। उनकी मौजूदगी में राजधानी के शहीद स्मारक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी मुकेश अहलावत भी शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना है। इसमें प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। संजय सिंह का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा का माहौल देखा जा रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए पार्टी ने

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद... ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, सास-ससुर समेत 4 को राहत

बिलासपुर, 04 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए आरोपी पति दीपनारायण रजक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे एक महीने के भीतर अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।



दरवाजे की हकीकत ने खोली साजिश की परत

जांच में सामने आया कि ममता की गला दबाकर हत्या की गई थी। बाद में शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया गया। जांच के दौरान तहसीलदार ने यह भी परखा कि कमरे का दरवाजा वास्तव में अंदर से बंद था या नहीं। उन्होंने बाहर से धक्का देकर दरवाजा खोला, जो आसानी से खुल गया।

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में महिला की सास, ससुर, चाचा ससुर और चाची सास को मिली राहत बरकरार रखी। मामला बिलासपुर के महमंद निवासी मनहरणलाल निर्मलकर की बेटी ममता से जुड़ा है। दरअसल, ममता की शादी चक्रभटा थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा निवासी दीप नारायण रजक से हुई थी। शादी के दो साल के भीतर ही ममता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई

पति को गुप्ती वनी अहम सक्ती

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय घर में केवल पति और पत्नी मौजूद थे। ऐसे में पत्नी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका संतोषजनक जवाब आरोपी पति नहीं दे सका। केवल इस आधार पर कि पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, पति की कूत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।